

सिवनी/ सौभर

धूमा, कहानी, घंसौर, लखनादौन, उपरा, चौरई, परासिया, जुन्नारदेव, बिठुआ, अमरवडा

पंचायत उप निर्वाचन को लेकर प्रतिबंधात्मक आदेश जारी

सिवनी, देशबन्धु। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी सुश्री संस्कृति जैन ने पंचायत उप निर्वाचन 2024 में ऐसी ग्राम पंचायतों जिनमें जिला पंचायत सदस्य/सरपंच/पंच का निर्वाचन होना है उन ग्राम पंचायत क्षेत्रों में चुनाव प्रचार-प्रसार जेर-शोर से होने की सभावना तथा स्वतंत्र, निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण चुनाव सम्पन्न करने तथा कानून व्यवस्था बनाये रखते के लिए भारतीय नागरिक सुख सहित की धारा 183 के तहत प्रतिबंधात्मक आदेश किए हैं।

जारी प्रतिबंधात्मक आदेशमुक्ति सिवनी जिले की सीमा अंतर्गत जिन ग्राम पंचायतों में जिला पंचायत सदस्य / जनपद सदस्य / सरपंच/पंच का निर्वाचन होना है ऐसी संवर्धित ग्राम पंचायत/वार्ड के निर्वाचन क्षेत्र में किसी भी प्रकार का निर्वाचन होना की धारा 183 के तहत प्रतिबंधात्मक आदेश किए हैं।

जारी प्रतिबंधात्मक आदेशमुक्ति सिवनी जिले की सीमा अंतर्गत जिन ग्राम पंचायतों में जिला पंचायत सदस्य / जनपद सदस्य / सरपंच/पंच का निर्वाचन होना है ऐसी संवर्धित ग्राम पंचायत/वार्ड के निर्वाचन क्षेत्र में किसी भी प्रकार का निर्वाचन होना की धारा 183 के तहत प्रतिबंधात्मक आदेश किए हैं।

कोई भी व्यांका अथवा सम्प्रदाय या समूह, राजनीतिक दल जिले के सम्बन्धित अनुभाग के अनुविभागीय दण्डाधिकारी से 24 घण्टे पूर्व जिला पंचायत सदस्य/सरपंच/पंच का कानूनित प्राप्त किये गए और किसी भी स्थान पर आमसभा, धर्म, रैली, प्रदर्शन एवं बंद मासों में चुनाव प्रचार-प्रसार जेर-शोर से होने की आयोजित करेंगे और न ही इसके लिए प्रचार-प्रसार करेंगे।

ऐसी आमसभा, धर्म, रैलीयों में विस्फोटक प्रवार्ष लेकर उपरिथित नहीं होगा। इसके साथ ही सम्बन्धित अनुमति प्राप्त किये गए किसी भी वाहन पर बैनर, फ्लैकर बोर्ड, स्पीकर, लाउड स्पीकर आदि लगाकर अथवा बैगैर लगाये भी चुनाव प्रचार नहीं करेंगे। निर्वाचन क्षेत्र में कोई भी आमसभा, जामवाला, आयोजन जिसमें पांच या पांच से अधिक प्रतिवान व्यवस्था बनाये रखते के लिए भारतीय नागरिक सुख सहित की धारा 183 के तहत प्रतिबंधात्मक आदेश किए हैं।

इसी तरह पंचायत उप निर्वाचन 2024 के निर्वाचन हेतु आर्थ्य आवश्यक सहित के दौरान रात्रि 08:00 बजे तक चुनाव प्रचार संबंधी गतिविधियों को प्रतिबंधित किया जाता है। जिसमें घ-घर जाकर प्रचार एस एम एस. व्हाट्सएप संदेश, दूरभाष तथा लाउड स्पीकर का प्रयोग रात्रि 10:00 बजे से प्रातः 6:00 बजे के मध्य नहीं किया जाएगा। यह आदेश भारतीय

नागरिक संहिता 2023 की धारा 163 (पुरानी धारा-दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144) के अंतर्गत एक पक्षीय रूप से पारित किया गया है। इस आदेश का उल्लंघन भारतीय न्याय संहिता की धारा 223 (पुरानी धारा-भारतीय दण्ड संहिता की धारा 188) के तहत दण्डनीय होगा।

कोलाहल नियंत्रण क्षेत्र घोषित

सिवनी, देशबन्धु। कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी सुश्री संस्कृति जैन द्वारा पंचायत उप-निर्वाचन 2024 तुलारंध के महेनजर चुनाव प्रचार के कार्य में ध्वनि विस्तारक यंत्रों के द्रुपद्योग व लोक प्रशास्ति बनाए रखने हेतु मध्यप्रदेश कोलाहल नियंत्रण अधिनियम 1985 की धारा- 18 के तहत जिले की जिन ग्राम पंचायतों में जिला पंचायत, जनपद पंचायत सदस्य, सरपंच, पंच के निर्वाचन होने हैं। इनके लिए बैठक लेकर किसी भी आमसभा, जामवाला, आयोजन जिसमें पांच या पांच से अधिक प्रतिवान व्यवस्था बनाये रखते के लिए भारतीय नागरिक सुख सहित की धारा 18 के तहत जिले की जिन ग्राम पंचायतों में जिला पंचायत, जनपद पंचायत सदस्य, सरपंच, पंच के निर्वाचन होने हैं। इन्हें 16 दिसंबर 2024 तक की अवधि के लिए कोलाहल नियंत्रण क्षेत्र घोषित करने के लिए एपीआरडीसी, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, जल संसाधन विभाग, जल नियंत्रण तथा पीएचई के अधिकारियों को उपरिथित रहेंगे। इनी तरह गोपालगंज एवं कुरई स्वास्थ्य क्षेत्रों के नवीन भवन के लिए भूमि आवंटन कार्यवाही हेतु आवेदन प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए। कलेक्टर लोक संस्कृति के नियमण की गई। बैठक में लोक नियमण विभाग, गामीण यांत्रिकी सेवा, भवन विकास एवं प्रधानमंत्री ग्राम सङ्करण, एपीआरडीसी, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, जल संसाधन विभाग, जल नियंत्रण तथा पीएचई के अधिकारियों को उपरिथित रही। बैठक में कलेक्टर सुश्री जैन ने विभिन्न विभागों द्वारा बनाए जा रहे एवं निर्देशित किया गया।

कलेक्टर ने की निर्माण कार्यों की समीक्षा



शिक्षा परिसर, स्वास्थ्य के न्द्र सहित अन्य शासकीय भवनों की प्रगति की पीपीटी के माध्यम से विस्तृत समीक्षा की गई। उद्देश्ये अधिकारियों को कार्यावार विस्तृत दिशा-निर्देश भी दिए।

कलेक्टर सुश्री जैन ने सीएम राईज स्कूल के विलारी की प्रस्तावित भूमि से अतिक्रमण होने के नियमांशों की संबंधित अधिकारियों को दिए हैं। इसी तरह गोपालगंज एवं कुरई स्वास्थ्य क्षेत्रों के नवीन भवन के लिए भूमि आवंटन कार्यवाही हेतु आवेदन प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए। कलेक्टर लोक संस्कृति के नियमण की गई। बैठक में लोक नियमण विभाग, गामीण यांत्रिकी सेवा, भवन विकास एवं प्रधानमंत्री ग्राम सङ्करण, एपीआरडीसी, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, जल संसाधन विभाग, जल नियंत्रण तथा पीएचई के अधिकारियों को उपरिथित रही।



गोटेगांव, देशबन्धु। श्रीधाम के निकट परम पञ्च जगद्गुरु स्वामी श्री शंकराचार्य स्वरूपानंद सरस्वती महाराज की तपोस्थली श्री वनम परमहंसी गंगा में विराजित मैया नियुक्त विवाह को आवेदन करने की धर्म आवश्यक गोपनीय लोगों ने दर्शन कर धर्म लभ प्राप्त किया। फोटो - शरद नेमा।

सार-समाचार



सीमर, देशबन्धु। अखंड हरिनाम सप्ताह सीमर में वर्ष 2025 में निरंतर 39 वां मनान् हेतु रखी गई। बैठक सर्वसम्मति से अध्यक्ष विजयवीर आमले उपाध्यक्ष नामदेव पाठिल सचिव सुभाष गाडगे सहसंचिव योगीराज भगत तथा कोषाध्यक्ष धनराज सरोदे एवं कार्यकारी सदस्य में प्रदीप ठाकरे, प्रभाकर बोडे, प्रभाकर बटोडे, रामेश्वर सुपतकर, रमेश आमले, कुंडलीक रेवसकर, रविकांत बोडे, रामकृष्ण बोडे, मीरावार्द खंडाई, सिंधुवार्द रेवासकर, नंदिकांश औराकार, शंकर बोडारे, जयंत फसाट, नलकुरा, आधिकारी रामसंकर, धनराज धनराज धनराज एवं कार्यकारी सदस्य एवं प्रदीप ठाकरे, प्रभाकर बोडे, प्रभाकर बटोडे, रामेश्वर सुपतकर, रमेश आमले, कुंडलीक रेवसकर, रविकांत बोडे, रामकृष्ण बोडे, मीरावार्द खंडाई, सिंधुवार्द रेवासकर, नंदिकांश औराकार, शंकर बोडारे, जयंत फसाट, नलकुरा, आधिकारी रामसंकर, धनराज धनराज धनराज धनराज एवं कार्यकारी सदस्य एवं प्रदीप ठाकरे, प्रभाकर बोडे, प्रभाकर बटोडे, रामेश्वर सुपतकर, रमेश आमले, कुंडलीक रेवसकर, रविकांत बोडे, रामकृष्ण बोडे, मीरावार्द खंडाई, सिंधुवार्द रेवासकर, नंदिकांश औराकार, शंकर बोडारे, जयंत फसाट, नलकुरा, आधिकारी रामसंकर, धनराज धनराज धनराज धनराज एवं कार्यकारी सदस्य एवं प्रदीप ठाकरे, प्रभाकर बोडे, प्रभाकर बटोडे, रामेश्वर सुपतकर, रमेश आमले, कुंडलीक रेवसकर, रविकांत बोडे, रामकृष्ण बोडे, मीरावार्द खंडाई, सिंधुवार्द रेवासकर, नंदिकांश औराकार, शंकर बोडारे, जयंत फसाट, नलकुरा, आधिकारी रामसंकर, धनराज धनराज धनराज धनराज एवं कार्यकारी सदस्य एवं प्रदीप ठाकरे, प्रभाकर बोडे, प्रभाकर बटोडे, रामेश्वर सुपतकर, रमेश आमले, कुंडलीक रेवसकर, रविकांत बोडे, रामकृष्ण बोडे, मीरावार्द खंडाई, सिंधुवार्द रेवासकर, नंदिकांश औराकार, शंकर बोडारे, जयंत फसाट, नलकुरा, आधिकारी रामसंकर, धनराज धनराज धनराज धनराज एवं कार्यकारी सदस्य एवं प्रदीप ठाकरे, प्रभाकर बोडे, प्रभाकर बटोडे, रामेश्वर सुपतकर, रमेश आमले, कुंडलीक रेवसकर, रविकांत बोडे, रामकृष्ण बोडे, मीरावार्द खंडाई, सिंधुवार्द रेवासकर, नंदिकांश औराकार, शंकर बोडारे, जयंत फसाट, नलकुरा, आधिकारी रामसंकर, धनराज धनराज धनराज धनराज एवं कार्यकारी सदस्य एवं प्रदीप ठाकरे, प्रभाकर बोडे, प्रभाकर बटोडे, रामेश्वर सुपतकर, रमेश आमले, कुंडलीक रेवसकर, रविकांत बोडे, रामकृष्ण बोडे, मीरावार्द खंडाई, सिंधुवार्द रेवासकर, नंदिकांश औराकार, शंकर बोडारे, जयंत फसाट, नलकुरा, आधिकारी रामसंकर, धनराज धनराज धनराज धनराज एवं कार्यकारी सदस्य एवं प्रदीप ठाकरे, प्रभाकर बोडे, प्रभाकर बटोडे, रामेश्वर सुपतकर, रमेश आमले, कुंडलीक रेवसकर, रविकांत बोडे, रामकृष्ण बोडे, मीरावार्द खंडाई, सिंधुवार्द रेवासकर, नंदिकांश औराकार, शंकर बोडारे, जयंत फसाट, नलकुरा, आधिकारी रामसंकर, धनराज धनराज धनराज धनराज एवं कार्यकारी सदस्य एवं प्रदीप ठाकरे, प्रभाकर बोडे, प्रभाकर बटोडे, रामेश्वर सुपतकर, रमेश आमले, कुंडलीक रेवसकर, रविकांत बोडे, रामकृष्ण बोडे, मीरावार्द खंडाई, सिंधुवार्द रेवासकर, नंदिकांश औराकार, शंकर बोडारे, जयंत फसाट, नलकुरा, आधिकारी रामसंकर, धनराज धनराज धनराज धनराज एवं कार्यकारी सदस्य एवं प्रदीप ठाकरे, प्रभाकर बोडे, प्रभाकर बटोडे, रामेश्वर सुपतकर, रमेश आमले, कुंडलीक